परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

परिवहन विभाग का विजन

1. परिवहन सेवाओं में सुगमता
2. सड़क दुर्घटनाओं में कमी
3. सुरक्षित परिवहन
4. स्वच्छ परिवहन
5. सार्वजनिक परिवहन का सुदृढीकरण

परिवहन विभाग–संगठनात्मक ढांचा

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कार्यालयों की संख्या	कार्यालय/चैकपोस्ट जहाँ स्वीकृत है
(1)	परिवहन आयुक्त कार्यालय	01	देहरादून
(2)	संभागीय परिवहन कार्यालय	04	देहरादून, हल्द्वानी, पौडी एवं अल्मोड़ा
(3)	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय	16	हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, रूड़की, विकासनगर रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग रामनगर, उधमसिंहनगर, काशीपुर, रानीखेत, पिथौरागढ, टनकपुर, बागेश्वर एवं कोटद्वार।
(4)	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) कार्यालय	01	चम्पावत
(5)	सचल टास्क फोर्स	09	देहरादून, विकासनगर, रूड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, रूद्रपुर (2)
(6)	मोटर साईकिल स्क्वैड	31	मुख्यालय, देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, हरिद्वार, रूड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, रूद्रपुर, काशीपुर, टनकपुर

परिवहन विभाग–सेवा संवर्ग

पदनाम	सेवा संवर्ग	प्रास्थिति
परिवहन आयुक्त	भा0प्र0से0	विभागाध्यक्ष
अपर परिवहन आयुक्त	उत्तराखण्ड परिवहन सेवा	अपर विभागाध्यक्ष
संयुक्त परिवहन आयुक्त	तदैव	मुख्यालय
उप परिवहन आयुक्त	तदैव	मुख्यालय
सहायक परिवहन आयुक्त	तदैव	मुख्यालय
संभागीय परिवहन अधिकारी	तदैव	संभाग स्तर
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	तदैव	उपसंभाग स्तर
परिवहन कर अधिकारी	परिवहन अधीनस्थ कराधान सेवा संवर्ग	संभाग/उपसंभाग स्तर
संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	प्राविधिक सेवा संवर्ग	संभाग/उपसंभाग स्तर

परिवहन विभाग–सेवा संवर्ग

पदनाम	सेवा संवर्ग	प्रास्थिति
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मिनिस्ट्रियल संवर्ग	मुख्यालय/संभाग/ उपसंभाग स्तर
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	
प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	
प्रधान सहायक	तदैव	
वरिष्ठ सहायक	तदैव	
कनिष्ठ सहायक	तदैव	
वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक (परिवहन उप निरीक्षक)	प्रवर्तन कर्मचारी संवर्ग	मुख्यालय/प्रवर्तन दल
प्रवर्तन पर्यवेक्षक (परिवहन सहायक निरीक्षक)	तदैव	
प्रवर्तन सिपाही (परिवहन आरक्षी)	तदैव	
प्रवर्तन चालक	तदैव	

विभाग में प्रभावी अधिनियम/नियम

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित		
1	मोटरयान अधिनियम, 1988	केन्द्रीय अधिनियम
2	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989	केन्द्रीय नियमावली
3	रेन्ट ए कैब स्कीम, 1989	किराये पर मोटर कैब का व्यवसाय करने संबंधी
4	रेन्ट ए मोटरसाईकिल स्कीम, 1997	किराये पर मोटरसाईकिल का व्यवसाय करने संबंधी
5	मोटर वाहन चालन रैगुलेशन, 2017	सड़क पर यातायात के नियम
6	ऑल इण्डिया टूरिस्ट व्हीकल्स (आथेराईजेशन और परमिट) रूल्स, 2021	यात्री वाहनों के लिये ऑल इण्डिया परमिट संबंधी नियम
7	टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीडित प्रतिकर स्कीम, 2022	हिट एण्ड रन के मामलों में प्रतिकर संबंधी योजना
8	The Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules 2021	पुराने वाहनों को निष्प्रयोज्य किये जाने के सम्बन्ध में
9	The All India Tourist Vehicles (Authorization or Permit) Rules, 2021	यात्री वाहनों को ऑल इण्डिया परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में

विभाग में प्रभावी अधिनियम/नियम

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित		
1	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011	राज्य नियमावली
2	उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियामवली, 2003	मोटर वाहनों पर मोटरयान कर से सम्बन्धित
3	उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008	सार्वजनिक सेवायाान की दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि से सम्बन्धित
4	उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012	अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से राज्य में प्रवेश के समय कर वसूली से सम्बन्धित
5	उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011	परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित
6	उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020	एग्रीगेटर सम्बन्धी
7	अभिकर्ता/प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली, 2022	टूर एवं ट्रैवल एजेन्सियों से सम्बन्धित

परिवहन विभाग में राजस्व के स्रोत

- **राजस्व प्रप्ति के मुख्य स्रोत**
  - मोटरयान कर
  - फीस (पंजीयन, फिटनेस, परमिट, लाईसेन्स, प्रशमनशुल्क)
  - ग्रीन सैस
  - सेन्ट्रल पूल (नेशनल परमिट)
  - प्रवेश उपकर
  - विभागीय आय (प्रदूषण फार्म, निष्प्रयोज्य सामग्री आदि)

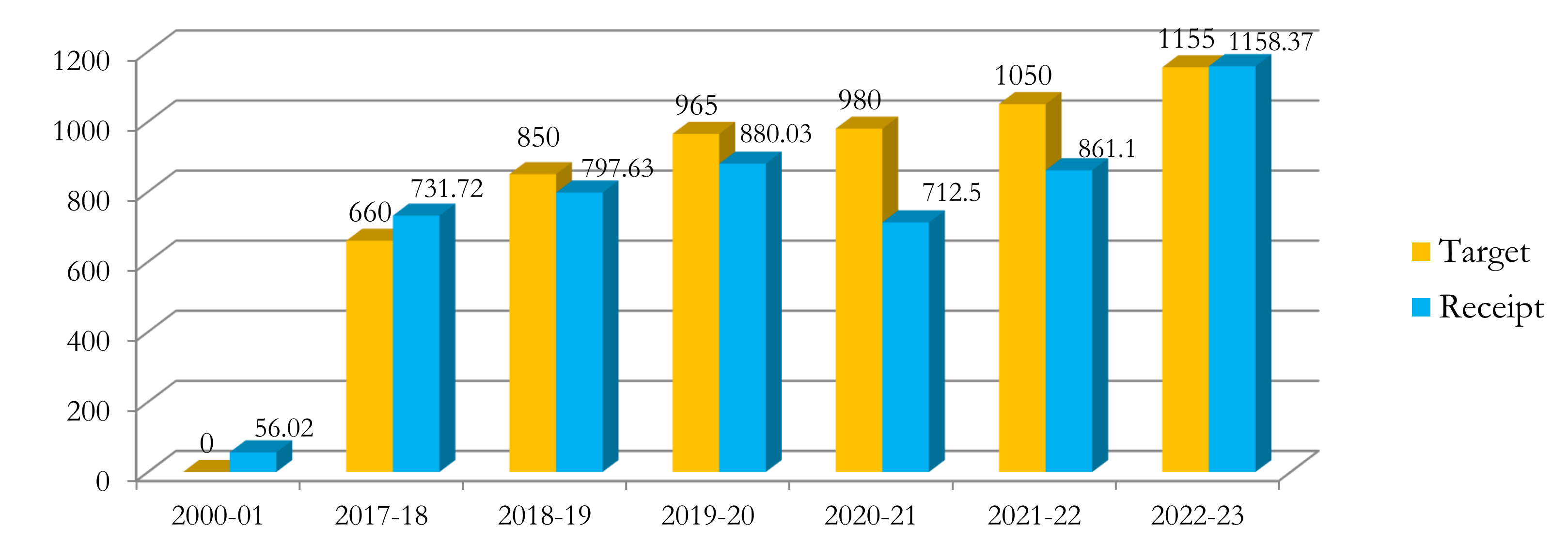

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

❖ उद्देश्य

- पारदर्शिता
- मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाना
- त्रुटियों को कम किया जाना
- त्वरित सेवा
- ऑन लाईन सेवाओं के माध्यम से परिवहन कार्यालयों में लम्बी कतारों को कम करना।
- परिवहन कार्यालयों में फुटफॉल को कम करना
- आवेदकों को सम्पर्क रहित सेवा प्रदान करना

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- वर्ष 2003 से वर्ष 2017 के मध्य परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं सभी संभागीय/ उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण किया गया।
- परिवहन कार्यालयों द्वारा विभिन्न सेवायें निम्नलिखित साफ्टवेयर के माध्यम से दी जा रही है–

• वाहन साफ्टवेयर	वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित
• सारथी साफ्टवेयर	चालक लाईसेन्स से सम्बन्धित
• ई–चालान साफ्टवेयर	चालान एवं प्रशमन से सम्बन्धित
• ग्रीन कार्ड साफ्टवेयर	यात्रा पर जाने वाले वाहनों को ग्रीन कार्ड/ट्रिप कार्ड से सम्बन्धित

- **ऑन लाईन कर भुगतान (2013 से)**
- राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन स्वामियों के साथ–साथ अन्य राज्यों से अस्थायी आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले व्यवसायिक वाहन स्वामियों को ऑन लाईन कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
- उक्त सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यवसायिक वाहन का स्वामी किसी भी समय कहीं से भी (24x7) आधार पर कर का भुगतान कर सकता है।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **पंजीयन सम्बन्धी ऑनलाईन सेवायें–**
  - मोबाईल नम्बर अपडेशन
  - वाहन का स्वामित्व अन्तरण
  - वाहन स्वामी के पते में परिवर्तन
  - पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति
  - एचपीए (ऋण) पृष्ठांकन/निरस्तीकरण/कन्टीन्यूएषन
  - व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण/द्वितीय प्रति
  - मोटरयान कर का भुगतान
  - अन्य राज्य/संभाग हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र
  - वाहन में परिवर्तन
  - वाहन का पंजीयन विवरण (पर्टिकुलर)
  - मोटर डीलर को व्यापार प्रमाणपत्र

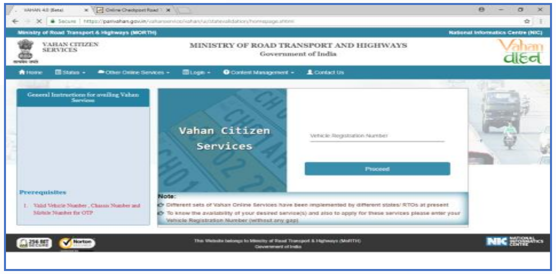

  - नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण
  - पंजीयन प्रमाणपत्र का समर्पण (सरेण्डर)
  - यात्री वाहन एवं भार वाहन परमिट सम्बन्धी सेवायें
  - आकर्षक पंजीयन नम्बर की ऑनलाइन बुकिंग/नीलामी
  - अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले मोटरयानों का कर भुगतान
  - परमिट जारी/नवीनीकरण
  - परमिट हस्तान्तरण
  - परमिटों का आथेराईजेशन

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **<u>लाईसेन्स सम्बन्धी ऑन लाईन सेवायें</u>**
  - शिक्षार्थी लाईसेन्स
  - स्थायी लाईसेन्स
  - लाईसेन्स पर पता परिवर्तन
  - लाईसेन्स नवीनीकरण
  - लाईसेन्स पर नयी श्रेणी का पृष्ठांकन
  - इन्टरनेशनल ड्राइविंग परमिट
  - लाईसेन्स की द्वितीय प्रति
  - कण्डक्टर लाईसेन्स
  - हिल पृष्ठांकन

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **भार वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने का कार्य**
  - उक्त सुविधा के अतिरिक्त भार वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने का कार्य भी वैब पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
  - उक्त पोर्टल पर जारी होने वाले प्रत्येक परमिट के लिये उत्तराखण्ड राज्य को रूपये 400.00 की दर से स्टेट शेयर प्राप्त होता है।
- **स्मार्ट कार्ड आधारित अभिलेख**–
  - परिवहन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रपत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्यू0आर0 कोड आधारित स्मार्ट कार्ड (पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालक लाईसेंस) जारी करने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **जन सुविधा केन्द्रों को अधिकार–**
  - विभाग की ऑनलाईन सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राज्य में स्थापित जन–सुविधा केन्द्रों को परिवहन विभाग की विभिन्न सेवायें हेतु आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया है।
  - पारदर्शिता की दृष्टि से जन सुविधा केन्द्रों द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क की दरें भी निर्धारित की गयी है, जो वर्तमान में रूपये 30.00 प्रति आवेदन निर्धारित है।
- **डीलर प्वाईन्ट डाटा एण्ट्री एवं कर भुगतान–**
  - उक्त योजना राज्य के सभी उपसंभागों में लागू की गयी है।
  - इस योजना के अन्तर्गत नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहनों की बिक्री के साथ ही मोटरयान डीलर द्वारा वाहन का डाटा 'वाहन' साफ्टवेयर में फीड करते हुए देय राजस्व ऑन लाईन भुगतान कर दिया जाता है।
  - वाहन स्वामी को अब वाहन के पंजीकरण हेतु परिवहन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है ।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **डिजीलॉकर/एम परिवहन में उपलब्ध अभिलेखों को मान्यता–**
    - राज्य में डिजीलॉकर एवं एम–परिवहन एप पर उपलब्ध अभिलेखों (डी0एल0, आर0सी0, बीमा प्रमाणपत्र, कर भुगतान रसीद) को मूल अभिलेख की भॉति मान्यता प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- **प्रदूषण जॉच केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण–**
    - राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित प्रदूषण जॉच केन्द्रों को भी ऑनलाईन करते हुए वाहन पोर्टल से जोड़ा गया है।
    - वर्तमान में उक्त पोर्टल के माध्यम से निर्गत प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र संबंधी डाटा रियल टाईम आधार पर सम्बन्धित वाहन के डाटा में सुरक्षित हो जाता है।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **एम–फिटनेस के माध्यम से वाहनों की फिटनेस–**
  - व्यवसायिक वाहनों को जारी की जाने वाली फिटनेस सम्बन्धी कार्य में पारदर्शिता हेतु सभी संभागीय/ उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में एम–फिटनेस एप के माध्यम से कार्य प्रारम्भ किया गया है।
  - उक्त एप के माध्यम से वाहन की फिटनेस के समय वाहन के फोटो लिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।
  - उक्त एप से जीयो फेन्सिंग के माध्यम से कार्यालय/निर्धारित स्थल पर ही उपस्थित वाहन की फिटनेस की जानी सुनिश्चित की जाती है।

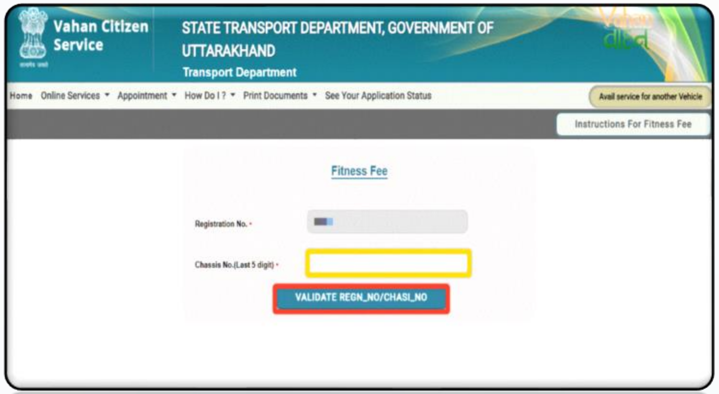

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **ई–चालान व्यवस्था–**
  - प्रवर्तन कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत ई–चालान सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।
  - सभी प्रवर्तन दलों एवं डायनमिक टास्क फोर्स को टैबलेट, प्रिन्टर एवं कनैक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी है।
  - उक्त एप की विशेषताएं:–
    - **वाहन एवं सारथी से इन्टीग्रेटेड**
    - **जी0पी0एस0 लोकेशन** से इन्टीग्रेट, जिसके माध्यम से चालान के वास्तविक स्थान, समय, तिथि आदि की सूचना स्वतः ही प्रदर्शित
    - सॉफ्टवेयर में **वाहन के फोटो लिये जाने** की व्यवस्था
    - सॉफ्टवेयर **ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों मोड** में कार्य करने में सक्षम
    - ऑन लाईन प्रशमन की व्यवस्था

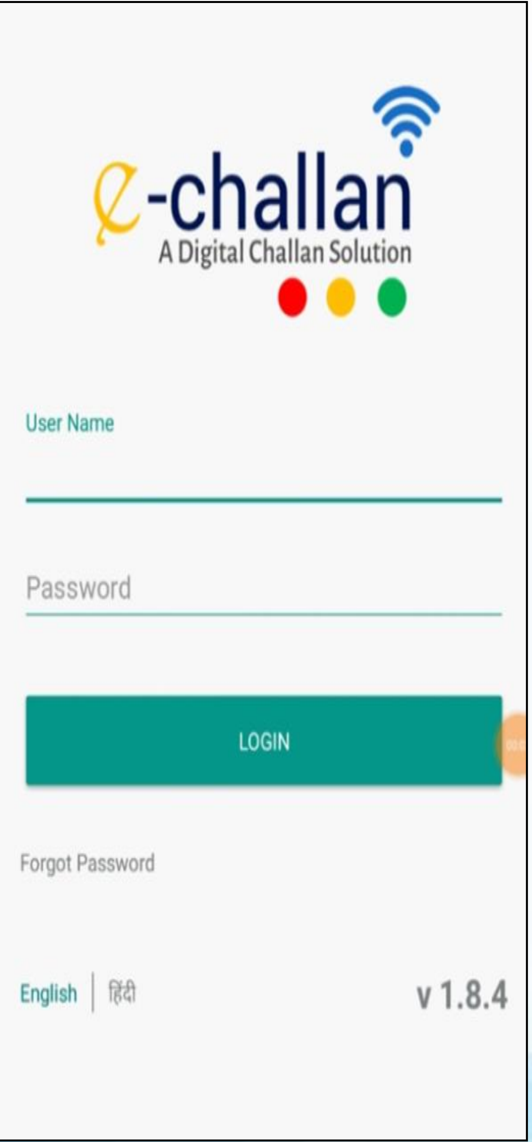

परिवहन प्राधिकरण

- राज्य/अन्तर्राज्यीय मार्गो पर परमिट जारी करने का कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा एवं सम्भाग स्तर पर परमिट जारी करने का कार्य संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परिवहन प्राधिकरण गठित हैः–

  1– राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड (देहरादून में)

  2– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून

  3– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी

  4– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी

  5– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा

- परमिट सम्बन्धी मामलों में अपील/शिकायत हेतु राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण देहरादून में कार्यरत।

नये वाहन पंजीयन में आवंटित होने वाली (प्रचलित श्रृंखला) सीरीज़

CA, CB

TA, TB

PA, PB

GA, GB

EC

ER

Types of Number Plates

MH 02 VD 2636

Private Vehicle

MH 02 VD 2636

Electric Vehicle

MH 02 VD 2636

Temporary Registration Vehicle

MH 02 VD 2636

Transport Vehicle

27 CD 10

Consulate / Diplomat Vehicle

↑03D153874W

Military Vehicle

P

MH 02 VD 2636

Rental Vehicle

MH 02 VD 2636

Testing Vehicle

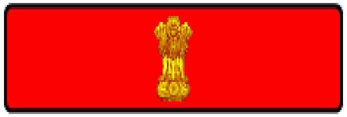

President of India/ Governors of States

उत्तराखण्ड राज्य में मोटर वाहनों को आवंटित किए जाने वाले आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण एवं इच्छित पंजीयन नम्बरों हेतु निर्धारित शुल्क एवं आबंटन की प्रक्रिया

- यह नियम दिनांक 01–06–2017 से लागू किया गया है।
- उक्त योजना राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में एक साथ लागू की गयी है।
- 38 पंजीयन नम्बरों को ऑन लाईन नीलामी की श्रेणी में रखा गया है।
- 305 पंजीयन नम्बर ऑन लाईन फीक्सड प्राईज श्रेणी में अधिसूचित है।
- कोई भी आवेदक ऑनलाईन भुगतान कर अपनी पसन्द का नम्बर ऑन लाईन बुक कर सकता है।
- वैबसाईट parivahan.gov.in/fancy.
- **नीलामी हेतु आकर्षक पंजीयन संख्याएं (38):–**

रजिस्ट्रीकरण संख्या	न्यूनतम आरक्षित मूल्य
0001, 0786	रूपये 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र)
0002 से 0009, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999	रूपये 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र)
0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0101, 0777, 0999, 7000, 7070, 7272, 7979, 9000, 9191	रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र)

उत्तराखण्ड राज्य में मोटर वाहनों को आवंटित किए जाने वाले आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण एवं इच्छित पंजीयन नम्बरों हेतु निर्धारित शुल्क एवं आबंटन की प्रक्रिया

- ऑन लाईन बुकिंग हेतु निर्धारित पंजीयन संख्याए :

अति महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याएं (देय शुल्क रू0—10,000/)

90	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1001	1100
1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2002	2100	2200
2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3003	3100	3200	3300
3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4004	4100	4200	4300	4400
4500	4600	4700	4800	4900	5000	5005	5100	5200	5300	5400	5500
5600	5700	5800	5900	6000	6006	6100	6200	6300	6400	6500	6600
6700	6800	6900	7007	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800
7860	7900	8000	8008	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800
8900	9009	9100	9200	9300	9400	9500	9600	9700	9800	9900	

आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्याए(देय शुल्क रू0—5000/)

111	222	444	555	666	888	1122	1133	1144	1155
1166	1177	1188	1199	1786	1881	2211	2233	2244	2255
2266	2277	2288	2299	2772	2786	3311	3322	3344	3355
3366	3377	3388	3399	3663	3786	4411	4422	4433	4455
4466	4477	4488	4499	4786	5445	5511	5522	5533	5544
5566	5577	5588	5599	5786	6336	6611	6622	6633	6644
6655	6677	6688	6699	6786	7227	7711	7722	7733	7744
7755	7766	7786	7788	7799	8118	8811	8822	8833	8844
8855	8866	8877	8899	9786	9911	9922	9933	9944	9955
9966	9977	9988							

महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याए(देय शुल्क रू0—2000/)

18	20	27	30	36	40	45	50	54	60
63	70	72	80	81	202	303	404	505	606
707	808	909	1010	1212	1313	1414	1515	1616	1717
1818	1919	2020	2121	2223	2323	2424	2525	2626	2727
2828	2929	3030	3131	3232	3434	3535	3636	3737	3838
3939	4040	4041	4141	4242	4343	4545	4646	4747	4848
4949	4950	5050	5151	5252	5353	5454	5656	5757	5858
5959	6060	6161	6262	6363	6464	6565	6767	6768	6868
6969	7171	7373	7474	7575	7676	7677	7878	8080	8181
8282	8383	8484	8585	8686	8787	8989	9090	9292	9393
9494	9595	9696	9797	9898					

परिवहन विभाग अंतर्विभागीय सम्बन्ध

परिवहन विभाग अंतर्विभागीय सम्बन्ध

परिवहन विभाग अंतर्विभागीय सम्बन्ध

परिवहन विभाग अंतर्विभागीय सम्बन्ध

जिलाधिकारी द्वारा समितियों में नामित

- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली समिति
- जिला उद्योग समिति
- यातायात समिति

वाहन दुर्घटना

- **तकनीकी जाँच–**
  सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं सम्भागीय निरीक्षक(तकनीकी)
- **मजिस्ट्रेटी जाँच**
  उपजिलाधिकारी
- **दुर्घटना राहत निधि (सार्वजनिक सेवायान से प्रभावितों हेतु दुर्घटना राहत निधि से सहायता)**
  जिलाधिकारी

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

विगत 05 वर्षों में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण–

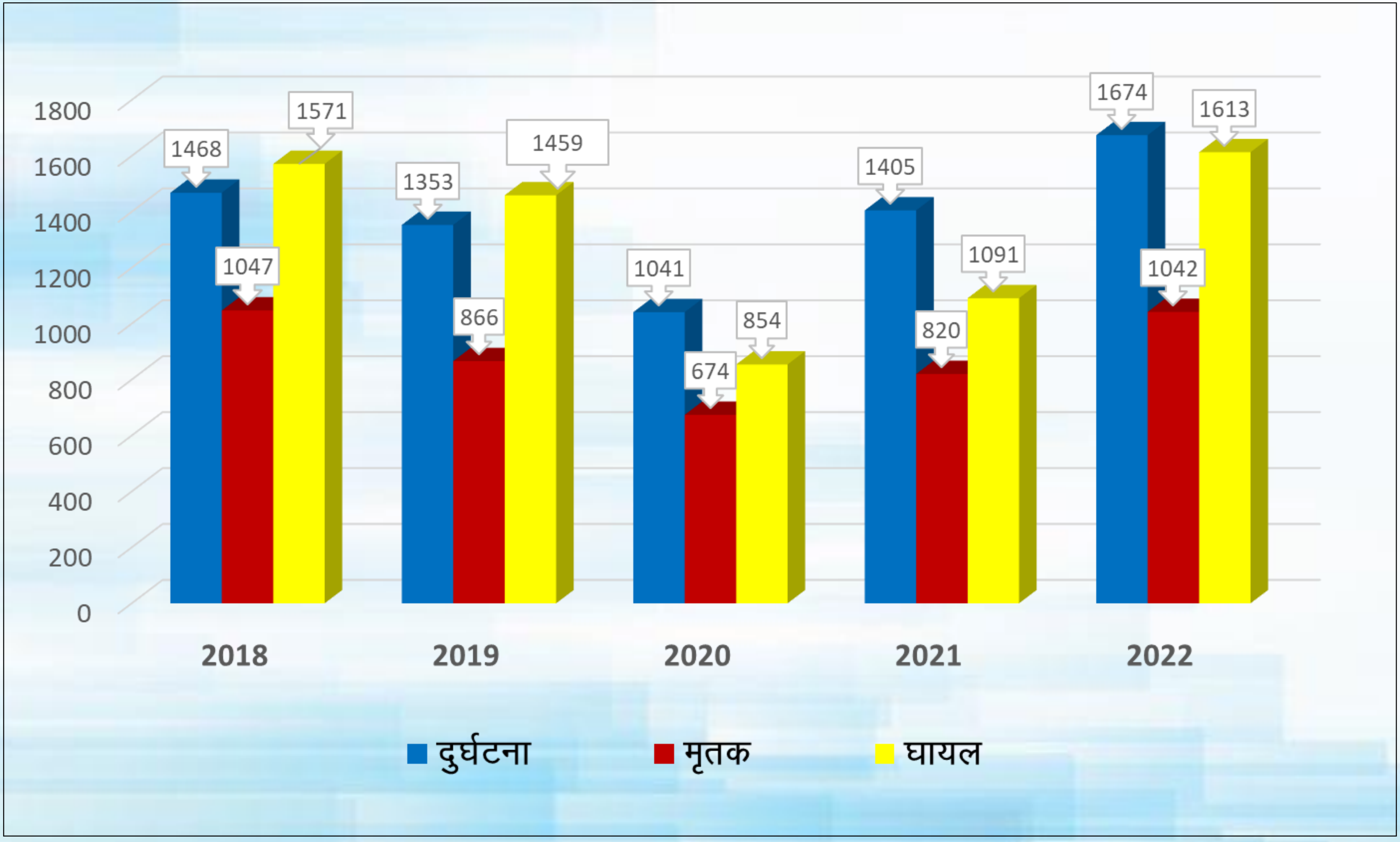

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- **सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही का विवरण–**
  - सम्मुख प्रस्तुत परिषद/समितयों का गठन।
  - उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति का प्रख्यापन।
  - उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना।

मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद

↓

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति

↓

संयुक्त परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी

↓

माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति

↓

जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- **प्रवर्तन कार्य का सुदृढ़ीकरणः**— परिवहन विभाग हेतु 12 इन्टरसेप्टर वाहन तथा 31 स्पीड रडार गनों का क्रय किया गया है।

- **नशे की हालत में वाहन चलाने की जॉच हेतुः**— नशे की हालत में वाहन संचालित करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 40 एल्कोमीटर क्रय कर प्रवर्तन दलों को आवंटित किये गये हैं।

इन्टरसेप्टर – 12

एल्कोमीटर–40

स्पीड रडार गन–31

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- **स्पीड गवर्नर–** ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यवसायिक वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण की अनिवार्यता की गयी है, अभी तक लगभग 1,14,041 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किये है।

- **वाहन लोकेशन ट्रेकिंग एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम–**
दिनांक 01–01–2019 से पंजीकृत होने वाले सार्वजनिक सेवायानों पर वी0एल0टी0 डिवाईस लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

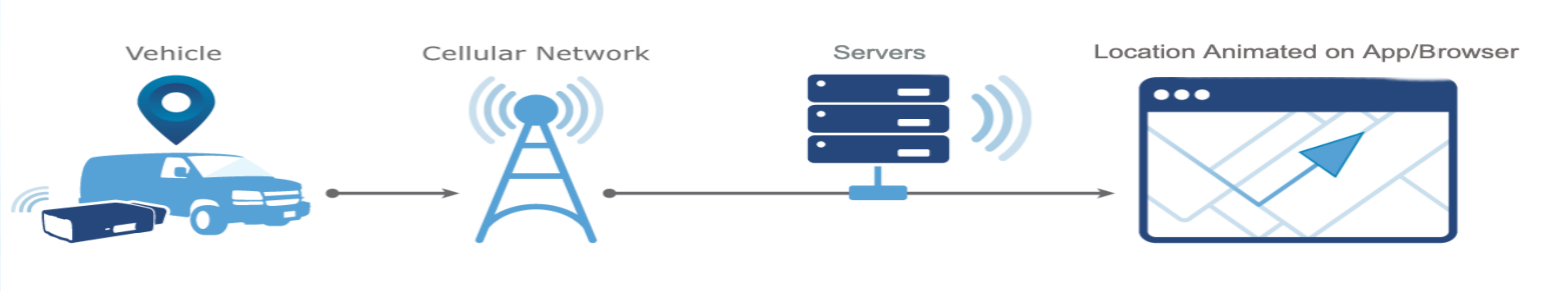

वाहन लोकेशन ट्रेकिंग एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम

कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर

परिवहन आयुक्त, कार्यालय, देहरादून

मोटर साईकिल प्रवर्तन दलों का गठन

बाईक स्क्वेड – 30

ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना

- **दिनांक 09–05–2023 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ**
- **10 स्थानों पर स्थापित**
  - आशारोड़ी (देहरादून)
  - कुल्हाल (देहरादून)
  - भगवानपुर (हरिद्वार)
  - नारसन (हरिद्वार)
  - श्यामपुर पुलिस चौकी (हरिद्वार)
  - कौडिया (कोटद्वार)
  - सूर्या पुलिस चौकी, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)
  - सुतईया चैकपोस्ट (उधमसिंह नगर)
  - रूद्रपुर चैकपोस्ट (काशीपुर)
  - धरमपुर पुलिस चौकी (काशीपुर)
- **अपराधों का विवरण**
  - ओवर स्पीडिंग
  - बिना हेल्मेट
  - त्रिपल राईडिंग
  - गलत दिशा में वाहन चलाना

प्रस्तावित आटोमेटिड टेस्टिंग लेन (फिटनेस जॉच हेतु)

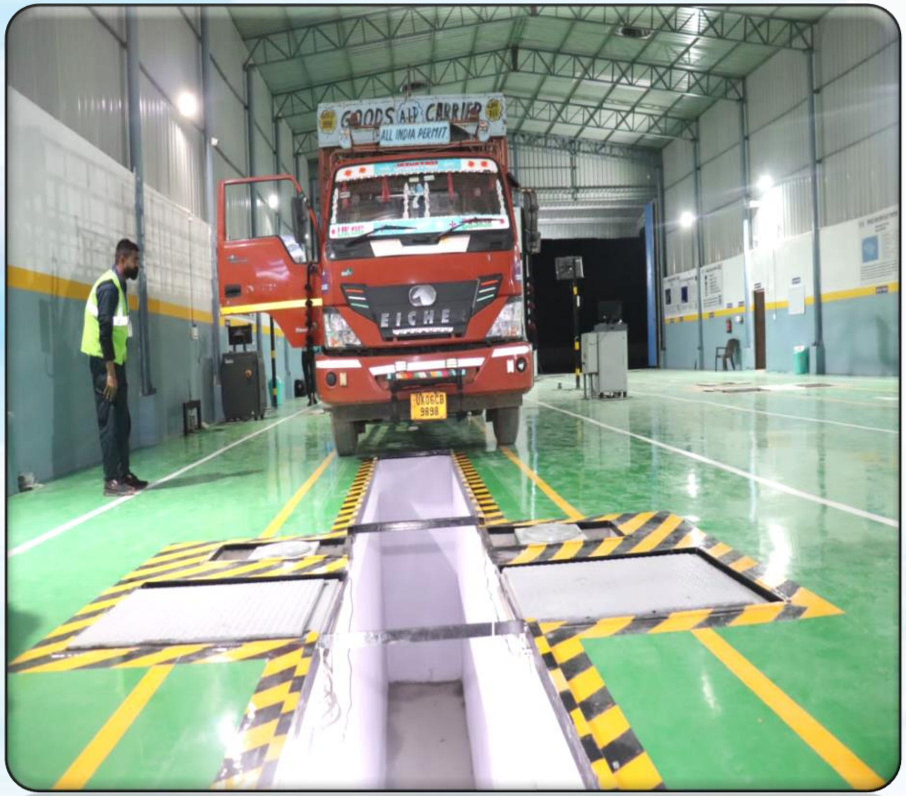

Sl.No.	Particulars	Number of places	Remark
1	Running in private sector	02	Dehradun & Rudrapur
2	Primary License issued in private sector	02	Haridwar & Haldwani
3	Government Sector	02	Construction is going on Kotdwar & Rishikesh
4	EOI invited	04	RamNagar, Tanakpur, Roorkee, Vikasnagar

प्रस्तावित आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (चालन परीक्षा हेतु)

Sl. No.	Particulars	Number of places	Remark
1	Construction completed	02	Dehradun & Haridwar
2	Under Construction	05	Kotdwar, Rishikesh, Uttarkashi, Almora & Kashipur

आई0डी0टी0आर0, देहरादून (चालकों के प्रशिक्षण हेतु)

- Total Area - 10.0 Acre (approx.)
- Track Length - 2.0 KM
- Hostel Capacity - 32 Rooms (64 Beds)
- Class Rooms - 6 Classrooms
- Training Vehicles - 12 LMV/HMV & 1 Forklift
- Simulators - 2 LMV & 1 HMV
- Operation by Maruti Suzuki (I) Ltd.

Mobile based HAMS (Harnessing Automobile Safety)

HAMS

(Harnessing Automobile Safety)

Developed in collaboration with Microsoft & IDTR

Running in Dehradun as pilot project

More than 25000 tests

Pass % fell down from 95% to 65%

Published in Coffee-table book of Hon'ble Prime Minister

C.M. award winner

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर पुलिस, अस्पताल या कोई भी सरकारी या निजी एजेंसी द्वारा उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।
- विभिन्न 6 अभियोगो में से किसी भी अभियोग मे चालान होने पर अनिवार्य लाइसेंस निलम्बन (न्यूनतम तीन माह)–
  (A) नशे की हालत में वाहन चलाना
  (B) तेज गति से वाहन चलाना
  (C) ओवरलोड (भार वाहन)
  (D) रेड लाईट जम्पिंग
  (E) भार वाहन में सवारी ढोना
  (F) वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग
- दो अभियोगो में अनिवार्य काउंसलिंग–
  (A)बिना हेलमेट (B) बिना सीट बैल्ट
- स्कूल बसों के सम्बन्ध में 17 बिन्दुओं पर दिये गये आवश्यक निर्देश।

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

➢सड़क तकनीकी कार्य हेतु सुझाव –

➢परिवहन विभाग द्वारा मार्ग का रोड सर्वे कर पक्के/कच्चे मार्गों का चिन्हिकरण, हल्का/भारी वाहन संचालन हेतु उपयुक्त है या नही, रोड पर पैराफिट, क्रैश बैरियर, रोड साईनेज इत्यादि लगाये जाने हेतु सुझाव प्रदान किया जाना, दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना।

➢सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन –

परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह संचालित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत निम्नवत् रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है–

❖स्कूल, कालेजों एवं शिक्षण संस्थाओं में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम–

1. चित्रकला प्रतियोगिता
2. भाषण प्रतियोगिता
3. स्लोगन प्रतियोगिता
4. सड़क सुरक्षा रैली

❖विभिन्न मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल/प्रदूषण जॉच केन्द्रों के सहयोग से आयोजित होने वाले कार्यक्रम

1. नेत्र परीक्षण कैम्प
2. प्रदूषण जॉच कैम्प
3. वाहनों पर रिफ्लेक्टर (परावर्ती टेप) लगाना
4. पम्पलेट वितरण।

दुर्घटना राहत निधि में प्रभावित व्यक्तियों के लिये आर्थिक सहायता में वृद्धि

- सार्वजनिक सेवायानों की दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुर्घटना राहत निधि का गठन किया गया है।
- उक्त निधि से प्रदान की जाने वाली राहत राशि निम्न प्रकार हैः–
  - मृत्यु होने की स्थिति में — रूपये 2.00 लाख
  - गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में — रूपये 40,000
  - साधारण घायल होने की स्थिति में — रूपये 10,000

धन्यवाद